रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

Ricitia Juli

HRA IN ISUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/चैत्र 7, 1939
No. 113]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गांधीनगर, 2 दिसम्बर, 2016

सं. 2-4/2009-प्रशा./5822.- निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :---

संविधि 2

संविधि 2(4) - (संशोधित)

कुलपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक कि वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, पद पर रह सकते हैं तथा वे दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे.

संविधि 11

संविधि 11(1): कार्यकारी परिषद का गढन एवं कार्यकाल - (संशोधित)

कार्यकारी परिषद का गढन निम्नलिखित को निहित करते हुए होगा, तथा जिसके सदस्यों का कार्यकाल,

किसी अन्य प्रावधान के सिवाय, तीन वर्ष के लिए होगा.

1. कुलपति

2. उप कुलपति

3. एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति अथवा किसी विश्वविद्यालय का एक सेवारत प्रखयात प्रोफेसर, जो कि कुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा नामित.

4. अधिष्ठाता , छात्र कल्याण.

5. पाँच विद्यापीठों के अधिष्ठाता , जो कि नीचे निर्दिष्ट किये गए प्रत्येक समूह में से तीन से अधिक नहीं, वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर

1726 GI/2017

समूह -1

सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन एवं मानविकी संकाय.

समूह-2

विज्ञान, प्रौधोगिकी एवं स्वास्थ्य विज्ञान संकाय.

- 6. एक प्रोफेसर, जो अधिष्ठाता न हो, कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर नामित.
- 7. एक सह-प्रोफेसर , कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर नामित.
- 8. एक सहायक -प्रोफेसर, कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर नामित.
- 9. कोर्ट में निर्वाचित सदस्यों में से दो निर्वाचित सदस्य ,जब भी कोर्ट का गठन हो, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या संबंध्द संस्थान का कर्मचारी या छात्र न हो.
- 10. चार व्यक्ति जो कि अकादमिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों,कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित.
- 11. प्रत्येक वर्ग का एक सदस्य यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक , महिला एवं दिव्यांग ,जो कि कुलंपति द्वारा सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के शिक्षकों या अन्य केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से नामित.
- 12. कुलसचिव सचिव

11 (2) कम से कम दो बाहरी सदस्य, जो विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रखते हों , को शामिल करते हुए कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों में से पचास प्रतिशत सदस्य , कार्यकारी परिषद की एक बैठक के लिए गणपूर्ति का निर्माण करेंगे.

संविधि 13

संविधि 13(1): अकादमिक परिषद का गठन एवं कार्यकाल -(संशोधित)

अकादमिक परिषद का गठन निम्नलिखित को निहित करते हुए होगा, तथा जिसके सदस्यों का कार्यकाल, किसी अन्य प्रावधान के सिवाय, तीन वर्ष के लिए होगा.

1. कुलपति

2. उप कुलपति

- 3. एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति अथवा किसी विश्वविद्यालय का एक सेवारत प्रख्यात प्रोफेसर, जो कि कुलपति की अनुशंसा पर अकादमिक परिषद द्वारा नामित.
- 4. सभी विद्यापीठ के अधिष्ठाता

5. अध्यन केन्द्रों के अध्यक्ष

- 6. छः प्रोफेसर, जो कि कुलपति द्वारा विभिनन विद्यापीठों के समुचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर नामित.
- 7. छः सह- प्रोफेसर, जो कि कुलपति द्वारा विभिनन विद्यापीठों के समुचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर नामित.
- 8. छः सहायक- प्रोफेसर, जो कि कुलपति द्वारा विभिनन विद्यापीठों के समुचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन पर नामित.
- 9. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण.

3

112

10. पुस्तकालयाध्यक्ष.

11. एक कुलानुशासक आवर्तन पर, वरिष्ठता के अनुसार.

12. एक प्रोवोस्ट आवर्तन पर, वरिष्ठता के अनुसार.

13. एक वार्डन आवर्तन पर, वरिष्ठता के अनुसार.

- 14. चार व्यक्ति जो कि, अकादमिक परिषद द्वारा उनके विशेष ज्ञान के कारन सहयोजित किये गए हों, जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हों.
- 15. कोर्ट में निर्वाचित सदस्यों में से दो निर्वाचित सदस्य ,जब भी कोर्ट का गठन हो, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या सम्बन्ध संस्थान का कर्मचारी या छात्र न हो.
- 16. दो छात्र प्रतिनिधि जो कि मेरिट एवं आवर्तन के आधार पर विश्वविद्यालय के छात्र परिषद के सदस्यों में से कुलपति द्वारा नामित, ऐसे सदस्यों को अकादमिक परिषद की बैठक में, निम्न विषयों में से किसी विषय पर विचार होने पर, उपस्थित होने का अधिकार नहीं होगा-

(अ) शिक्षकों के पद, भर्ती, सेवा की शर्तें और अकादमिक स्वतंत्रता.

(ब) अकादमिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की वास्तविक प्रक्रिया एवं छात्रों की मेरिट.

17. प्रत्येक वर्ग का एक सदस्य -

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति,
- अन्य पिछड़ा वर्ग,
- अल्पसंख्यक,
- महिला,
- दिव्यांग,

जो की कुलपति द्वारा सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के शिक्षकों या अन्य केंद्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में से नामित,

18. कुलसचिव - सचिव

13 (2) कम से कम दो बाहरी सदस्य, जो विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रखते हो, को शामिल करते हुए अकादमिक परिषद के कुल सदस्यों में से पचास प्रतिशत सदस्य , अकादमिक परिषद की एक बैठक के लिए गणपूर्ति का निर्माण करेंगे

संविधि 40:

संविधि 40: विश्वविद्यालय के विद्यापीठ एवं केन्द्र

- 1. अन्तर्राष्टीय अध्ययन संस्थान
 - (अ) सुरक्षा अध्ययन केन्द्र
 - (ब) अन्तर्राष्टीय राजनीति केन्द्र
- 2. सामाजिक विज्ञान संस्थान
 - (अ) समाज और विकास अध्ययन केन्द्र
 - (ब) विज्ञान, प्रौधोगिकी और नवाचार नीति अध्ययन केन्द्र
 - (स) सामाजिक प्रबंधन अध्ययन केन्द्र
 - (द) अर्थशास्त्र और योजना अध्ययन केन्द्र

- (य) गाँधीवादी सोच और शांति अध्ययन केन्द्र
- 3. भाषा , साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान
 - (अ) तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद अध्ययन केन्द्र
 - (ब) अंग्रेजी अध्ययन केन्द्र
 - (स) चीनी भाषा और संस्कृति केन्द्र
 - (द) जर्मन अध्ययन केन्द्र
 - (य) हिन्दी भाषा और साहित्य अध्ययन केन्द्र
 - (र) प्रवासी अध्ययन केन्द्र
 - (ल) गुजराती भाषा और साहित्य केन्द्र
- 4. रसायन विज्ञान संस्थान
 - (अ) रसायन विज्ञान अध्ययन केन्द्र
 - (ब) अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान केन्द्र
- 5. जीव विज्ञान संस्थान
- 6. पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान
- 7. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान केन्द्र
- 8. नैनो-विज्ञान केन्द्र
- 9. स्वास्थ्य, संस्कृति और व्यक्तित्व विकास केन्द्र
- 10. औषधीय विज्ञान केन्द्र
- 11. प्रबंधन विद्यापीठ
- 12. प्रौधोगिकी विद्यापीठ
- 13. भू-विज्ञान और सुदूर सवेंदन संस्थान

प्रो. एस. एल. हीरेमठ, कुल सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./482/16]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT NOTIFICATION

Gandhinagar, the 2nd December, 2016

No. 2-4/2009-Admn/5822.—The following is published for general information.—

Statute 2

Statute 2(4) - (amended)

The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment for a second term.

4

5

Statute 11

Statute 11(1) Constitution and term of office of the Executive Council - (amended)

Executive Council shall consist of the following and the Members shall hold office for term of three years, except otherwise provided.

- i. Vice Chancellor
- ii. Pro Vice Chancellor
- iii. A Central University Vice Chancellor or a serving University Professor of Eminence, nominated by the Executive Council on the recommendation of the Vice Chancellor
- iv. Dean of Students' Welfare
- v. Five Deans of Schools of Studies of whom not more than three shall be from each of the groups specified below by rotation according to seniority;

Group-I

Faculty of Social Sciences, Management and Humanities

Group-II

Faculty of Science, Technology & Health Sciences

- vi. One Professor, who is not a Dean, by rotation according to seniority, nominated by the Vice Chancellor
- vii. One Associate Professors, by rotation according to Seniority, nominated by the Vice Chancellor
- viii. One Assistant Professors, by rotation according to Seniority, nominated by the Vice Chancellor
- ix. Two Members of the Court, when constituted, elected from amongst the elected members, none of whom shall be an employee or student of the University or an institution recognized by or associated with the University
- x. Four persons of distinction in academic life, to be nominated by the Visitor
- xi. One Member each from the Categories, namely Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities, Women and Differently Abled, shall be nominated by the Vice Chancellor as members from the teachers of the University or other Central/State Universities
- xii. Registrar Secretary

11(2) Fifty percent of the Members of the Executive Council, including at-least two outside members, not belonging to the University shall form a quorum for a Meeting of the Executive Council.

Statute 13

Statute 13(1) Constitution and term of office of the Academic Council - (amended)

Academic Council shall consist of the following and the members shall hold office for term of three years, except otherwise provided.

- i. Vice Chancellor
- ii. Pro Vice Chancellor
- iii. A Central University Vice Chancellor or a serving University Professor of Eminence, nominated by the Academic Council on the recommendation of the Vice Chancellor
- iv. Dean of Schools of Studies
- v. Chairpersons of Centre of Studies
- vi. Six Professors, by rotation, adequately representing different Schools of Studies, according to

seniority nominated by the Vice Chancellor

- vii. Six Associate Professors, by rotation, adequately representing different Schools of Studies, according to seniority nominated by the Vice Chancellor
- viii. Six Assistant Professors, by rotation, adequately representing different Schools of Studies, according to seniority nominated by the Vice Chancellor
- ix. Dean of Students' Welfare
- x. Librarian

6

- xi. One Proctor by rotation according to seniority
- xii. One Provost by rotation according to seniority
- xiii. One Warden by rotation according to seniority
- xiv. Four persons not in the service of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge
- xv. Two Members of the Court, when constituted, elected from amongst the elected members, none of whom shall be an employee or student of the University or an institution recognized by or associated with the University.
- xvi. Two students' representatives, to be nominated by the Vice Chancellor on merit basis, from members of the Student Council of University, on rotation basis. Such members hall not have the right to be present at the meeting of the Academic Council when it takes up for consideration any of the following subjects:
 - (a) Faculty positions, recruitment, conditions of service and academic freedom;
 - (b) Actual processes of evaluating academic performance and merit of students.
- xvii. The following representatives:
 - One of Scheduled Castes
 - One of Scheduled Tribe
 - One of Other Backward Classes
 - One of Minorities
 - One of Women; and
 - One of the Differently Abled

shall be nominated by the Vice Chancellor as members from the teachers of the University or other Central/State Universities,

xviii. Registrar - Secretary

13(2) Fifty percent of the Members of the Academic Council, including at-least two outside members, not belonging to the University shall form a quorum for a meeting of the Academic Council.

Statute 40

40. Schools and Centres of the University

School of International Studies
(a)Centre for Security Studies
(b)Centre for International Politics

[भाग III-खण्ड 4]

- ii. School of Social Sciences
 - (a) Centre for Studies in Society and Development
 - (b) Centre for Studies in Science, Technology and Innovation Policy
 - (c) Centre for Studies in Social Management
 - (d) Centre for Studies in Economics and Planning
 - (e) Centre for Gandhian Thought and Peace Studies
- iii. School of Language, Literature and Culture Studies
 - (a) Centre for Comparative Literature and Translation Studies
 - (b) Centre for English Studies
 - (c) Centre for Chinese Language and Culture
 - (d) Centre for German Studies
 - (e) Centre for Studies in Hindi Language and Literature
 - (f) Centre for Study of Diaspora
 - (g) Centre for Gujarati Language and Literature
- iv. School of Chemical Sciences
 - (a) Centre for Studies in Chemistry
 - (b) Centre for Applied Chemistry
- v. School of Life Sciences
- vi. School of Environment and Sustainable Development
- vii. Centre for Library and Information Science
- viii. Centre for Nano-Science
- ix. Centre for Health, Culture and Personality Development
- x. Centre of Pharmaceutical Sciences
- xi. School of Management
- xii. School of Technology
- xiii. School of Earth Sciences and Remote Sensing

Prof. S.L. HIREMATH, Registrar [ADVT. III/4/Exty./482/16]